

न्यायालय उपजिलाधिकारी सोरांव इलाहाबाद।

वाद संख्या-टी 2015020303/14 धारा 143 ज0वि0अधिनियम।

मौजा-चक मोलवी बाकर परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद  
तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण बनाम सरकार

न्यायालय - आदेश

प्रस्तुत वाद तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विकास संस्थान द्वारा प्रबन्धक दीप नौर्या पुत्री राम खेलावन मौर्य निवासिनी ग्राम ताजपुर तहसील कुण्डा जिला प्रतापगढ़ के प्रार्थना पत्र पर धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस आदेश का दाखिल किया गया है कि वह मौजा चक मोलवी बाकर परगना नवाबगंज तहसील सोरांव के आराजी संख्या 6 रकबा 0.7285 हे0 के संकमणीय भूमिगत भूतल पर काजिज व दखील है। उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अन्त में अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त कर दिया जाय।

तहसीलदार सोरांव से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सोरांव द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 21.12.2014 निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कहा गया है कि मौजा चक मोलवी बाकर परगना नवाबगंज तहसील सोरांव के आराजी संख्या 6 रकबा 0.7285 हे0 पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त आराजी पर तकनीकी एवं औद्योगिक विकास संस्थान निर्माणाधीन है। उपरोक्त आराजी पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार सोरांव द्वारा मौजा चक मोलवी बाकर परगना नवाबगंज तहसील सोरांव के आराजी संख्या 6 रकबा 0.7285 हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार सोरांव की आख्या दिनांक 21.12.2014 से सहमत होते हुए आदेश हुआ कि मौजा चक मोलवी बाकर परगना नवाबगंज तहसील सोरांव के आराजी संख्या 6 रकबा 0.7285 हे0 लगान 60ख को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अपर जिलाधिकारी (विद्युत/राजस्य) इलाहाबाद महोदय को एक प्रति उप निबन्धक सोरांव को भेजी जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद परवाना अमलदरामद पत्रावली दालिकल दफतर हो।

(आलोक कुमार त्रिपाठी)  
उपजिलाधिकारी-सोरांव,  
इलाहाबाद।

दीपांजली सिंह, न्यायालय  
मनौतीपुर इलाहाबाद